वि 143/19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24 JUL 2019 AB 042598

संशोधित ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क – 750/–

मैं कि संजय जैन पुत्र स्व0 श्री पुष्पेन्द्र जैन निवासी मौहल्ला पुरियान, फूँस वाली मस्जिद के पीछे बडौत, बागपत तहसील बडौत, जनपद बागपत के है जिसे आगे व्यवस्थापक कहा गया है। जिन्होंने पूर्व में एक ट्रस्ट दिनांक 21.12.2012 को, एक संशोधित ट्रस्ट डीड दिनांक 16.09.2014 को एवं एक संशोधित ट्रस्ट डीड दिनांक 01.09.2015 को रजिस्टर्ड करायी थी। जिसको सभी व्यवस्थापकों ने पुनः संशोधित करने का निश्चय किया है उसके लिये सभी व्यवस्थापक एक्र संशोधित विलेख का निष्पादन कर रहे है। अतः सभी व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :–

क्र0 02

स्टाम्प विक्रय की तिथि 9-8-19

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

आवेदन सं०: 201900735012943

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता........ SD1

स्टाम्प की धनराशि.............. 100

त्रिलोक चन्द स्टाम्प विक्रेता............ न्यास पत्र

ता० नं० 10 / बागपत / 05..............

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 2020

तहसील परिसर बड़ौत (बागपत)

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 143 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 300

Sanjay Jain

श्री संजय जैन ,

पुत्र श्री पुष्पेन्द्र जैन

व्यवसाय : अन्य

निवासी: कस्बा बडौत जिला बागपत आधार सं0-338301048047

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 09/08/2019 एवं 03:38:04 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र0 उपनिबंधक, बड़ौत

उप निबंधक :बड़ौत

बागपत

09/08/2019

रामदेव रामदेव रामदेव

निबंधक लिपिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 2 EY 452943

1. उक्त ट्रस्ट का नाम श्री पी0के0 जैन एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट (Shri P.K. Jain Educational & Welfare Trust) होगा।
2. उक्त ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी होंगे।

क– संजय कुमार जैन पुत्र श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन
व्यवस्थापक
मौ0 पुरियान, बडौत (बागपत)

ख– अजय कुमार जैन पुत्र श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन
मुख्य ट्रस्टी
मौ0 पुरियान, बडौत (बागपत)

ग– मनोज कुमार जैन पुत्र श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन
मुख्य ट्रस्टी
मौ0 पुरियान, बडौत (बागपत)

घ– श्रीमती चारू जैन धर्मपत्नि श्री अनुराग जैन
मुख्य ट्रस्टी
मौ0 पुरियान, बडौत (बागपत)

Sanjay J

क्र० 09

स्टाम्प विक्रय की तिथि 9-8-19

आवेदन सं०: 201900735012943

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता

स्टाम्प की धनराशि 100/-

त्रिलोक चन्द स्टाम्प विक्रेता

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 143 वर्ष: 2019

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 2020

निष्पादन लिखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री संजय जैन, पुत्र श्री पुष्पेन्द्र जैन

निवासी: कस्बा बडौत जिला बागपत आधार सं0-338301048047

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हरजीत 264458600516, पुत्र श्री हरदीप

निवासी: कस्बा बडौत जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री राजन जैन 874513337673, पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन

निवासी: कस्बा बडौत जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्रदीप कुमार प्र0 उपनिबंधक, बड़ौत

उप निबंधक : बड़ौत

बागपत

रामदेव रामदेव रामदेव

निबंधक लिपिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 452944

3. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय सैन्ट आर0वी0 कॉन्वेंट स्कूल देहली रोड, बडौली बडौत पर होगा परन्तु न्यासीगण को अधिकार होगा कि वह उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कही पर भी स्थानान्तरित कर सकते है।

4. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन– 10,000/– रूपये तथा भविष्य में प्राप्त सम्पत्ति उक्त ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है, जिसका तात्पर्य ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशि, निवेश, धन दान अथवा अनुदान से प्राप्त सावधि जमा अथवा चालू राशि को उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।

5. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण

Sanjay

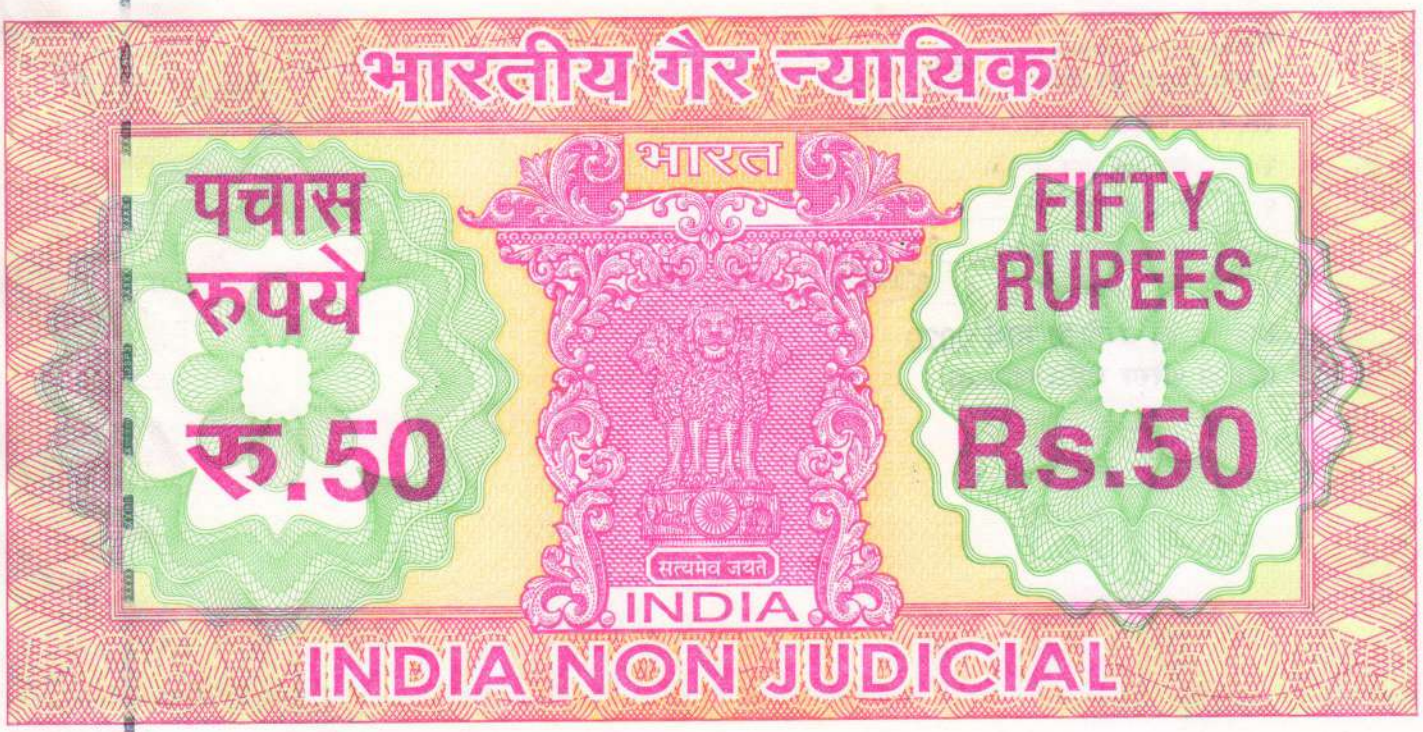

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ५ BS 736017

संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्रा सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास की उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या विभाग से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड की आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को आगे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक का समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

Sanjay J

8. यह कि इस ट्रस्ट की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है एवं इसका संचालन भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों द्वारा ही किया जा रहा है तथा वर्तमान एवं भविष्य में भी बनने वाले सभी प्रकार के सदस्य एवं पदाधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय के ही व्यक्ति होंगे।

ट्रस्ट के उद्देश्य–

1. स्कूल, कॉलिज व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।
2. अल्पसंख्यक समुदाय के बालक–बालिकाओं के लिये शैक्षणिक संस्थाए आदि स्थापित करना एवं उनका संचालन करना एवं अन्य सभी वर्गो व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिये एवं शैक्षणिक विकास हेतु कार्य करना।
3. इंजीनियरिंग कॉलिज की स्थापना एवं संचालन करना।
4. डेन्टल कॉलिज, मैडिकल कॉलिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।
5. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
6. समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंदों के लिए छात्रवृत्ति, सहायता आदि कार्य करना।
7. अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
8. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे, आय के साधन बढे और अवैध कब्जे भी न हो पाये।
9. निरीह प्राणियों, पशुओं एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

Sanjay J

10. स्कूल कॉलिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागरूक करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
11. शैक्षणिक किताबों/पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रुम तथा होटल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
12. समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना।
13. सी0बी0एस0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल व अन्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

9. यह कि न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
10. यह कि ट्रस्ट आयकर प्रावधानों के अनुसार चलेगा 12–'ए' व 80–जी' के प्रावधानों का पालन करेगा एवं उनका रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर सकता है।
11. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में किसी या किन्ही भी समय ट्रस्ट के उददेश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझें उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।
13. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगे।

कार्यकारिणी

क– संजय कुमार जैन पुत्र श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन

Sanjay Jain

अध्यक्ष
मौ0 पुरियान, बडौत (बागपत)
ख– अजय कुमार जैन पुत्र श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन
सचिव
मौ0 पुरियान, बडौत (बागपत)
ग– मनोज कुमार जैन पुत्र श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन
कोषाध्यक्ष
मौ0 पुरियान, बडौत (बागपत)
घ– श्रीमती चारु जैन धर्मपत्नि श्री अनुराग जैन
उपाध्यक्ष
मौ0 पुरियान, बडौत (बागपत)

14. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होगे–

अध्यक्ष– ट्रस्ट की सभी बैंठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से
बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना। ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना।

सचिव– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्तावों व आदेशो को पारित करना। ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारु रुप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रुप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्ट के नाम से सभी चालू खाते सावधि जमा खाते का संचालन करना।

Sanjay J

कोषाध्यक्ष– ट्रस्ट के सभी प्रकार की आय–व्यय का ब्यौरा रखना एवं उन्हें अधिकृत सी0ए0 से सत्यापित कराना यदि किसी भी कार्य के लिये ट्रस्ट को पैसे की आवश्यकता है तो उसका प्रबन्ध कराना एवं संस्था का समस्त पैसा अपने पास सुरक्षित रखना।

15. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य सहमति से कार्यकारिणी करेगी।

16. यह कि ट्रस्टीगण समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व परमार्थिक कार्यो के प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यो उददेश्यो के संचालन एवं पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझ से प्रदान करने की शक्ति होगी। साधाारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष की उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे।

17. यह कि किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर उसका उत्तराधिकारी ट्रस्टी होगा। यह कि मुख्य कार्यकारिणी को अन्य ट्रस्टी रखने व सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा।

18. यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उददेश्यो में परिवर्तन का अधिकार मुख्य कार्यकारिणी का होगा।

19. यह कि ट्रस्ट की बैठक तीन महीनें में एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट

Sanjay Jain

कार्यालय में होगे परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझें बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

20. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय ट्रस्टीयों की संख्या का 1/3 अथवा कम से कम तीन ट्रस्टीयों का होगा, यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक से सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती।

21. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रुप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होगी तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्यो से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हुआ तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगे।

22. यह कि ट्रस्टगण को ट्रस्ट तथा उसके उददेश्यों से सम्बन्धित कार्य करने हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों को प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगे।

23. यह ट्रस्टीगण के नाम में चालू खाता, सावधि खाता, सेविंग बैंक खाता, ओवर ड्राफट खाता व सभी प्रकार के बैंकिग खाते

Sanjay Jain

किसी भी संस्था जो कि बैंकिग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते है।

24. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्टी फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बजाप्ता हिसाब और प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिटठा बनायेंगे इसके बाद चार्टड एकाउन्टेन्ड द्वारा आडिट कराया जायेगा।

25. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगे तथा ट्रस्ट के उददेश्यो के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो लीज पर या किराये पर या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उददेश्य से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

27. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्त्यिों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होगें।

Sanjay Jain

28. यह कि मुख्य कार्यकारिणी को ट्रस्ट के उददेश्यों के लिये समय–समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्टगण को ट्रस्ट की सम्पत्तियो को बंधक रखकर ट्रस्ट के उददेश्यो के लिये उधार/ऋण बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इन सभी कार्यो का करने का अधिकार मुख्य कार्यकारिणी को होगा।

29. यह कि मुख्य कार्यकारिणी को ट्रस्ट के उददेश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयर ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

30. यह कि एतद द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट प्रतिहस्तांरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हों तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियो का विलय समान उददेश्य रखने वाले ट्रस्ट में हो जायेगा।

31. यह कि ट्रस्ट को संस्थापक अपनी स्वेच्छा से कभी विघटित नहीं कर सकेगा। यह कि ट्रस्ट एक अटल खण्ड अर्थात यह ट्रस्ट एक अखण्डनीय ट्रस्ट है।

32. यह कि ट्रस्ट की कोई भी सेवा किसी जाति पंथ एक सम्प्रदाय के लिए नहीं वरन समस्त मानव जाति के हितार्थ बिना किसी जाति, पंथ एवं सम्प्रदाय के भेदभाव के की जायेगी।

33. यह कि किसी कारणवश यदि ट्रस्ट का विघटन किया गया तो इस ट्रस्ट का विलय ऐसी किसी अन्य संस्था/ट्रस्ट में कर दिया जायेगा जो कि इसके समान उददेश्यो वाली हो।

34. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं आय सिर्फ ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिए ही उपयोग की जायेगी तथा आय का कोई भी हिस्सा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओ व सदस्यो के हित में खर्च नहीं

Sanjay Jain

किया जायेगा। यहां तक की ट्रस्ट का अध्यक्ष भी अपने निजी कार्यो हेतु ट्रस्ट की सम्पत्ति का उपयोग तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को खर्च नहीं कर पायेगा। इसलिए ट्रस्ट की मीटिग में दिनांक 08.08.2019 बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पास कर उक्त ट्रस्ट में वर्णित शर्तो के अनुसार और पैरा बढाया गया।

35. 1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्रो के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क में अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार विद इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वो से उक्त केन्द्रीय परिषदो की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता एवं अनुदान स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

Sanjay Jain

आवेदन सं०: 201900735012943

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 89 के पृष्ठ 237 से 276 तक क्रमांक 143 पर दिनाँक 09/08/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र0 उपनिबंधक, बड़ौत

उप निबंधक : बड़ौत

बागपत

09/08/2019

6. यह कि कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों का अनुमान सेवनिवृत्त का लाभ उपलब्ध करायें जायेगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।

9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अर्न्तगत विभिन्न वर्ग के छात्रों की अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रो को प्रदान की जायेगी।

10. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्ध नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त के हस्ताक्षर स्वरुप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।
प्रारुपकर्ता– एडवोकेट संतोष कुमार जैन, बडौत

हस्ताक्षर

गवाहान

1.

2.

सन्तोष कुमार जैन
एडवोकेट
रजि० नं० 3105/81
बड़ौत (बागपत)

अँगुली का प्रकार

अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

पक्षकार का नाम .....

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम .....

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम .....

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम .....

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					